दिनांक 11.09.2020
प्रेस विज्ञप्ति 12/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर असलहा तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 02 सक्रिय सदस्य 21 अवैध अर्धस्वचलित पिस्टल के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 11–09–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय असलहा तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 02 सक्रिय सदस्यों को 21 अदद पिस्टल मय मैगजीन सहित जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. अमरेश सिंह पुत्र अनिल सिंह नि0 ग्राम धनछुला, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।
2. प्रिन्स कुमार सिंह पुत्र अनिल सिंह, ग्राम–सोनिसा, थाना रानीपुर, मऊ।

बरामदगी :–

1. 21 अदद पिस्टल .32 बोर।
2. 42 अदद मैगजीन .32 बोर।
3. 03 अदद मोबाईल फोन।
4. 02 अदद फर्जी पुलिस परिचय पत्र।
5. 01 अदद आधार कार्ड।
6. 01 अदद पैन कार्ड।
7. रूपये 1,530/– नगद।

गिरफ्तारी का स्थानः–

चिनहट कोकाकोला एजेन्सी के सामाने दिनांक 11.09.2020

विगत दिनों से एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय असलहा तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के निर्देशन में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुख्य आरक्षी संतोष सिंह को विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आज दिनांक 11–09–2020 को असलहा तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना स्वंय 01 सदस्य के साथ मध्य प्रदेश के खण्डवा जनपद से अवैध असलहा की खेप लेकर कामता तिराहा जनपद लखनऊ के पास आने वाला है। इस सूचना पर उ0नि0 विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर रवाना की गयी। एसटीएफ टीम उक्त स्थान पर पहुचकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अमरेश ने पूछताछ पर बताया कि उसने मध्य प्रदेश के जनपद खरगोन व खण्डवा में अवैध असलहे (पिस्टल) का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न

जनपदों में विक्री करने का बड़ा नेटवर्क बनाया है। जिसमें वह प्रति माह 50–60 पिस्टलें तैयार कराकर बिक्री कर देता है। वह एवं सद्दाम हुसैन मध्य प्रदेष के पिस्टल बनाने वाले लोगों को साथ में मिलाकर उनसे अवैध पिस्टलों का निर्माण कराते है तथा उन्हें तैयार कराकर उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में बेचते है।

उल्लेखनीय है कि सद्दाम हुसैन पुत्र मो0 आजम, नि0 जमीलपुर, थाना महराजगंज, आजमगढ़ निवासी है। जिसको एसटीएफ उ0प्र0 ने पूर्व में भी 23 पिस्टलो के साथ जनपद हरदोई से गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जो वर्ममान में जमानत पर है। जमानत पर छूटने के बाद से ही वह इसके साथ काम करना षुरू कर दिया था, इन लोगो ने बताया कि एक पिस्टल बनाने का कुल खर्च लगभग 10 हजार का आता है, जिसे विभिन्न राज्यों में सीधे खरीददार को 28 से 30 हजार रूपये में एवं बिचौलियों को 25 हजार रूपये में बेचते है। इस तरह यह लोग एक पिस्टल पर 15 से 18 हजार प्रति पिस्टल कमाई कर लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना चिनहट, जनपद–लखनऊ में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

दिनांक 11.09.2020
प्रेस विज्ञप्ति 11/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अभियान चलाकर अपराधियों पर कार्यवाही करने के दिये निर्देश के कम में कार्यवाही

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 16.08.2020 से **01 माह का विशेष अभियान** चलाकर अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री के कार्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लिप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना संकलित कर उनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुण्ड़ा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी हिस्ट्रीशीट खोलकर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा अवैध शराब के व्यापार से अर्जित चल–अचल सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही करने तथा अवैध शस्त्रों, कारतूसों आदि के निर्माण, कय–विकय आदि के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, जिसके कम में दिनांक 10.09.2020 तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैं:–

अवैध/अपमिश्रित शराब का निष्कर्षण/बिकी/तस्करी के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण :–

1.	अवैध शराब/तस्करी में प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरूद्ध कृत कार्यवाही/गिरफ्तारी की संख्या	10,397
2.	अवैध शराब/तस्करी के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत गैंगस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही की संख्या	203

अवैध शस्त्र/फैक्ट्री/कारतूसों के संबंध में कार्यवाही का विवरण :-

1.	कुल गिरफ्तार किये गये अपराधियों की संख्या	4,116
2.	बरामद अवैध शस्त्र फैक्ट्री की संख्या	59
3.	बरामद अवैध शस्त्रों(बन्दूक, पिस्टल, रिवाल्वर)की संख्या	2,081
4.	बरामद कुल अवैध शस्त्रों आदि की संख्या	6,214

-2-

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **हत्या की घटना का अनावरण**
- **02 अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 11.09.2020 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अपराधी 1-सुरेश, 2-मोहित को गैलेक्सी वैगा चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.09.2020 की रात्रि थाना बिसरख क्षेत्र में 02 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में मु0अ0सं0 556/2020 धारा 302/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूर्व में घटित हत्या की घटना की रंजिश को लेकर उक्त घटना कारित करायी गयी।

इस संबंध में थाना बिसरख पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सुरेश नि0 ग्राम टिकरी बादशाहपुर थाना सदर सेक्टर-48, गुडगांव, हरियाणा।

2-मोहित नि0 ग्राम पन्हेडा खुर्द थाना छायंसा फरीदाबाद, हरियाणा।

जनपद गोण्डा/थाना करनैलगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर,**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर**
- **10 जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 10.09.2020 को थाना करनैलगंज व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शीशामऊ नहर पुलिया के पास से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अवैध तमंचा 32 बोर मय 10 जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल बरामद हुए।

इस संबंध में थाना करनैलगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रज्जू खाँ उर्फ राजा उर्फ शहरयार खाँ नि0 ग्राम अल्हारपुरवा मौजा निंदूरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

2—फैजल रजा उर्फ फैसल चन्नू नि0 ग्राम जोगीपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

3—हसनैन खाँ पुत्र मेराज खाँ नि0 ग्रा0 अल्हार पुरवा मौजा निंदूरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

4—नासिर खां उर्फ सागर अली नि0 खान चौराहा पिपरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

5—मुर्सीद आलम नि0 ग्रा0 खिंदूरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी</u>

01. 01 अदद पिस्टल 32 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस।
02. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
03. 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस।
04. 01 अदद अपाचे मोटरसाईकिल।

जनपद बिजनौर/थाना चांदपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **कुल 35 बने/अद्धबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 05 जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 11.09.2020 को थाना चांदपुर पुलिस टीम द्वारा चांदपुर दत्तियाना रोड पर बन्द पडे क्रेशर के खण्डहर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अपराधियों 1–पीतम 2–रामौतार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 35 बने/अद्धबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 05 जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना चांदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पीतम नि0 मीरापुर खादर थाना चांदपुर बिजनौर।

2–रामौतार नि0 ग्राम जमालुद्दीन थाना चांदपुर बिजनौरं

बरामदगी

1–कुल 35 बने/अद्धबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 05 जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद।

जनपद देवरिया/थाना रूद्रपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **12 अवैध बने/अद्धबने तमंचे विभिन्न बोर, 02 जीवित 06 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 10.09.2020 को थाना रूद्रपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम रमठा के पास अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अपराधियों 1–सोहन, 2–जयराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 12 अवैध बने/अद्धबने तमंचे विभिन्न बोर, 02

जीवित 06 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना रूद्रपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोहन निवासी रमठा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।

2—जयराम निवासी करकोल एकौना देवरिया।

बरामदगी

1—12 अवैध बने/अद्धबने तमंचे विभिन्न बोर, 02 जीवित 06 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद।

—5—

जनपद शाहजहांपुर/थाना मदनापुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा अपराधी गिरफ्तार**
- **06 अवैध बने/अद्धबने तमंचे विभिन्न बोर, 04 कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 10/11.09.2020 की रात्रि थाना मदनापुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम पंखा खेड़ा बेहगुल नदी के किनारे कटरी क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अपराधी अनिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 06 अवैध बने/अद्धबने तमंचे विभिन्न बोर, 04 कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना मदनापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनिल नि0 ग्राम रूद्रपुर थाना गढिया रंगीन शाहजहॉपुर।

बरामदगी

2–06 अवैध बने/अद्धबने तमंचे विभिन्न बोर, 04 कारतूस विभिन्न बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद।

जनपद बलिया/थाना कोतवाली

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 रिवाल्वर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर बरामद**

दिनांक 10.09.2020 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 रिवाल्वर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2020 धारा 302/120बी भादवि व मु0अ0सं0 120/2020 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी विक्रमपुर थाना सैदपुर गाजीपुर।

बरामदगी

1–01 रिवाल्वर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

जनपद रामपुर/थाना स्वार

25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 10.09.2020 को थाना स्वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खण्डिया चौराहा के पास से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी जुनैद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अजीमनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/2018 धारा 147/148/149/323/332/535/224,307,336 भादवि व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व 7 कि0ला0 अधि0 में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना स्वार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जुनैद नि0 नगलिया आकिल थाना अजीमनगर रामपुर।

—7—

जनपद पीलीभीत/थाना सुनगढ़ी

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 11.09.2020 को थाना सुनगढ़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सुनगढ़ी क्षेत्र से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी केशव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सुनगढ़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 264/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सुनगढ़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—केशव नि0 मोहल्ला दुर्गाप्रसाद थाना बीसलपुर पीलीभीत।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद रामपुर/थाना बिलासपुर

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, लगभग 01 लाख 40 हजार रूपये कीमत की 01 किलो 420 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 10.09.2020 को थाना बिलासपुर पुलिस टीम द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्करों 1—साइमन व 2—साइमन की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 01 लाख 40 हजार रूपये कीमत की 01 किलो 420 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी।

इस संबंध में थाना बिलासपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साइमन निवासी ग्राम हामिदनगर थाना बिलासपुर रामपुर।

2—साइमन की पत्नी निवासी ग्राम हामिदनगर थाना बिलासपुर रामपुर।

बरामदगी

1—लगभग 01 लाख 40 हजार रूपये कीमत की 01 किलो 420 ग्राम अवैध चरस बरामद।

एसटीएफः दि0 17—12—2016 को जनपद बस्ती के थाना दुबौलिया के हवालात से फरार वांछित व रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी शत्रुधन चौहान एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

आज दिनांक 11—09—2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद बस्ती के थाना दुबौलिया से दिनांक 17—12—2016 को हवालात से फरार वांछित व रू0 50,000/—का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी शत्रुघन चौहान को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

शत्रुघन चौहान पुत्र हरीश चन्द्र चौहान नि0 बंजरिया सोबी, थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

बरामदगीः—

01—एक अदद हथकड़ी

02—रू0 470/— नगद

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः—

दिनांकः 11—09—2020, सरकारी शराब की दुकान, थाना दुबौलिया जनपद बस्ती। समयः 12:30

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के निर्देशन में श्री राजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसटीएफ मुख्यालय द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त के क्रम में उपनिरीक्षक श्री सत्येन्द्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में आ0 कुलदीप, आरक्षी दिलीप कुमार, मु0आ0 चालक प्रमोद कुमार सिंह एस0टी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ की एक टीम धरातलीय अभिसूचना संकलन हेतु जनपद बस्ती में मौजूद थी कि आज दिनांक 11—09—2020 को

विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना दुबौलिया जनपद बस्ती में पंजीकृत मु0अ0सं0 1060/2016 धारा 376/342/506 भादवि, 3/4 पास्को एक्ट एवं 3(1)2/3(2)5 एससी/एसटी में वाँछित अभियुक्त शत्रुघन चौहान को दिनांक 17–12–2016 को गिरफ्तार कर थाने के हवालात में बन्द किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त ने थाने से मय हथकड़ी फरार हो गया था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली की वह आज किसी साथी से मिलने के लिये थाना दुबौलिया क्षेत्रान्तर्गत सरकारी शराब की दुकान पर आया है और खड़ा है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर अपराधी शत्रुघन चौहान को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने गाँव की एक लड़की का दिनांक 14–12–2016 को प्रातः बालात्कार किया था, जिसपर उसके विरूद्ध थाना दुबौलिया जनपद बस्ती में मु0अ0सं0 1060/2016 धारा 376/342/506 भादवि, 3/4 पास्को एक्ट एवं 3(1)2/3(2)5 एससी/एसटी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसी अभियोग में दिनांक 17–12–2016 को थाना दुबौलिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था किन्तु वह पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसपर मु0अ0सं0 1062/2016 धारा 224 भादवि थाना दुबौलिया पर पंजीकृत हुआ था। उक्त घटना के बाद अभियुक्त के विरूद्ध वर्ष 2017 में मु0अ0सं0 174/2017 धारा 174ए भादवि का अभियोग थाना दुबौलिया में पंजीकृत किया गया था। फरार होने पर उसके विरूद्ध रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया। पुरस्कार घोषित होने के बाद वह महाराष्ट्र भाग गया था तथा वहाँ नासिक में नाम बदलकर ठेकेदारी का कार्य कर रहा था। आज किसी काम से बस्ती आया था कि एसटीएफ टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना दुबौलिया जनपद बस्ती में उपरोक्त अभियोगों में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना दुबौलिया जनपद बस्ती द्वारा की जा रही है।

—10—

जनपद देवरिया/थाना बनकटा (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की करीब 02 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले शातिर अपराधी **हृदयानन्द** द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 10 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्त की गयी।

जनपद सीतापुर/थाना तालगांव (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की करीब 40 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले शातिर अपराधी **सन्दीप उर्फ टांडा** द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 40 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्त की गयी।